

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Wednesday, 11 October, 2017 / 19 Ashwin, 1939 (Saka)

No. 62

02.09 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.09 PM **Message received from Hon'ble Lieutenant Governor :**
The Chair stated that he had received a Message from the Hon'ble Lieutenant Governor under Section 9(2) of the Government of the National Capital Territory of Delhi Act. He stated that he was circulating the copy of the Message amongst the Members and the Message may therefore be treated as 'read'. As directed by Hon'ble Speaker, the copies of letter from the Hon'ble Speaker to Hon'ble Lieutenant Governor and reply of Hon'ble Lieutenant Governor were also circulated.
He also stated that he was adjourning the House for 15 minutes to enable the Members to go through the Message and related correspondences.
2. 2.13 PM **House adjourned for 15 Minutes.**
3. 2.27 PM **House reassembled**
Hon'ble Speaker in-Chair.
4. 2.27 PM **Discussion on Message received from Hon'ble Lieutenant Governor :**
The House considered the Message dated 13 September, 2017 received from the Hon'ble Lieutenant Governor.
The following Members participated in the discussion :
 - 1 Shri Saurabh Bharadwaj
 - 2 Shri Rituraj Govind
 - 3 Shri Pankaj Pushkar
 - 4 Shri Rajesh Gupta
 - 5 Ms. Alka Lamba
 - 6 Shri Somnath Bharti
 - 7 Shri Jagdish Pradhan (Sh. Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Health intervened)
 - 8 Shri Sukhbir Singh Dalal
 - 9 Shri Jarnail Singh
 - 10 Shri Vijender Garg
 - 11 Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition
5. 4.45 PM **House adjourned for Tea break.**
6. 5.20 PM **House reassembled**
Hon'ble Speaker in-Chair.
7. 5.20 PM **Discussion on the Message received from Hon'ble Lieutenant Governor continued:**
 12. Shri Gulab Singh
 13. Shri Madan Lal

(6:02 PM : The Chair with the leave of the House, extended the sitting of the House by 30 minutes)
Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister presented the view of the Government.

(6:30 PM : The Chair with the leave of the House, extended the sitting of the House by 30 minutes)

Statement by the Chair: The Chair took serious exception to the Message being leaked to the Media before it being placed before the House. He warned Shri Vijay Kumar, Principal Secretary to Hon'ble Lieutenant Governor and other Officers concerned to be careful while dealing with matters related to the Assembly.

Shri Somnath Bharti moved the following Motion with the leave of the House :
"This House agrees:
That a Special Committee be constituted to look into the concerns raised by Hon'ble Lieutenant Governor in his Message dated 13 September, 2017 to the House;

That the Committee shall consist of the following Members:

1. *Shri Sanjeev Jha*
2. *Shri Adarsh Shastri*
3. *Shri Amanatullah Khan*
4. *Ms. Alka Lamba*
5. *Shri Vishesh Ravi*
6. *Shri Sahi Ram*
7. *Shri Saurabh Bharadwaj*
8. *Shri Rituraj Govind*
9. *Shri Jagdish Pradhan*

That the Hon'ble Speaker shall appoint one of the Members of the Committee as its Chairperson;

That the terms of reference of the Committee shall be:

1. *To look into the judiciousness or otherwise of the concerns raised by Hon'ble Lt. Governor vide his Message dated 13 September, 2017 regarding the Rules governing the functioning of the Department Related Standing Committees of the Legislative Assembly of NCT of Delhi;*
2. *To examine if there was any unconstitutionality / illegality perpetrated by Hon'ble Lt. Governor in sending the said Message without the aid and advise of the Council of Ministers to the House;*
3. *To make a comprehensive study of all aspects connected thereto; and*
4. *To present a report to the House so as to enable the House to formulate a holistic view to be conveyed to the Hon'ble Lt. Governor as its response to the Message.*

That the Committee is free to decide its own procedure to fulfil the mandate given by the House;

That the Committee is free to enlarge the scope of the study, if needed, subject to approval of Hon'ble Speaker;

That the committee shall exercise all powers and immunities available to the existing Committees of the Legislative Assembly; and

That the Committee shall submit its report to Hon'ble Speaker before the commencement of the Seventh Session of the Sixth Legislative Assembly”.

(Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition and Shri Jagdish Pradhan walked out in protest stating that they are opposed to the Motion)

The Motion was put to vote and adopted by voice vote.

8. 6.52 PM **The Chair clarified and directed that all the Committees of the House shall continue to function as per the existing provisions of the Rules of Procedure and the Message of Hon'ble Lieutenant Governor shall not have any effect on the functioning of these Committees.**

The Chair greeted the House on Deepawali.

The Chair thereafter expressed thanks to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Leader of Opposition, all the Members of the House and others for their cooperation in smooth conduct of the Session.

9. 6.53 PM **National Anthem – Jan-Gan-Man**
The Chair adjourned the House sine-die.

Delhi
11 October, 2017

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-1
कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

बुधवार, 11 अक्टूबर, 2017/अश्विन 19, 1939 (शक)

संख्या-62

2.09 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1 2.09 बजे

माननीय उपराज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश :

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्हें माननीय उपराज्यपाल महोदय से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम की धारा-9 (2) के तहत संदेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि वे सदस्यों को इस संदेश की प्रतियां वितरित करवा रहे हैं और इसलिए उक्त संदेश को पढ़ा हुआ माना जाये। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, अध्यक्ष महोदय का माननीय उपराज्यपाल को लिखा पत्र तथा माननीय उपराज्यपाल के उत्तर की प्रतियां भी वितरित की गईं।

उन्होंने यह भी कहा कि वे सदन को 15 मिनट तक स्थगित कर रहे हैं ताकि सदस्य संदेश और उससे संबंधित पत्र व्यवहार का अध्ययन कर सकें।

2 2.13 बजे

सदन 15 मिनट के लिए स्थगित हुआ।

3 2.27 बजे

**सदन पुनः समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**

4 2.27 बजे

माननीय उपराज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश पर चर्चा :

सदन ने माननीय उपराज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश दिनांक 13 सितम्बर, 2017 पर विचार किया। चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

1. श्री सौरभ भारद्वाज
2. श्री रितु राज गोविंद
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री राजेश गुप्ता
5. सुश्री अलका लाम्बा
6. श्री सोमनाथ भारती
7. श्री जगदीश प्रधान (श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
8. श्री सुखबीर सिंह दलाल
9. श्री जरनैल सिंह
10. श्री विजेन्द्र गर्ग
11. श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष

5 4.45 बजे

सदन जलपान अवकाश के लिए स्थगित हुआ।

6 5.20 बजे

**सदन पुनः समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**

7 5.20 बजे

माननीय उपराज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश पर चर्चा जारी :

12. श्री गुलाब सिंह
13. श्री मदन लाल

[6.02 बजे : अध्यक्ष महोदय ने सदन की अनुमति से बैठक की अवधि 30 मिनट के लिए बढ़ाई।]

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने सरकार के विचार प्रकट किये।

[6.30 बजे : अध्यक्ष महोदय ने सदन की अनुमति से बैठक की अवधि 30 मिनट के लिए बढ़ाई।]

अध्यक्ष महोदय द्वारा वक्तव्य :

अध्यक्ष महोदय ने सदन के सामने प्रस्तुत किये जाने से पहले संदेश के लीक होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने माननीय उपराज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विजय कुमार तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को विधानसभा से जुड़े मामले निपटाने के दौरान सावधान रहने की चेतावनी दी।

श्री सोमनाथ भारती ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:

यह सदन सहमत है कि:

माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा सदन के नाम भेजे गये दिनांक 13 सितम्बर, 2017 के संदेश में जाहिर की गई चिंताओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाये,

यह कि समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. श्री संजीव झा
2. श्री आदर्श शास्त्री
3. श्री अमानतुल्ला खां
4. सुश्री अलका लाम्बा
5. श्री विशेष रवि
6. श्री सही राम
7. श्री सौरभ भारद्वाज
8. श्री रितु राज गोविंद
9. श्री जगदीश प्रधान

यह कि माननीय अध्यक्ष किसी एक सदस्य को समिति का सभापति नियुक्त करेंगे,

यह कि समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की विभागीय स्थायी समितियों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों के संबंध में, माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा अपने दिनांक 13 सितम्बर 2017 के संदेश में जाहिर की गई चिंताओं की औचित्यता या अन्यथा का अध्ययन करना,
2. यह जाँच करना कि मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना उक्त संदेश सदन को भेजने में क्या माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा किसी असंवैधानिकता/अवैधानिकता को बढ़ावा दिया गया है,
3. इससे संबंधित सभी पक्षों का विस्तृत अध्ययन करना, और
4. इस सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ताकि सदन माननीय उपराज्यपाल महोदय के संदेश की प्रतिक्रिया में एक समग्र नतीजे पर पहुँचने में सक्षम हो सके,
– यह कि समिति सदन द्वारा दिये गये आदेश को पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रिया का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है,
– यह कि समिति यदि आवश्यक हो तो, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपने अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत करने के लिए स्वतंत्र है,
– यह कि समिति विधानसभा की विद्यमान समितियों को प्राप्त शक्तियों और संरक्षाओं का प्रयोग करेगी,
– यह कि समिति अपना प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय को छठी विधानसभा के सातवें सत्र के प्रारंभ होने से पहले प्रस्तुत करेगी।

(श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष और श्री जगदीश प्रधान ने यह कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया कि वे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।)

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

8 6.52 बजे अध्यक्ष महोदय ने यह स्पष्ट किया तथा निर्देश दिया कि सदन की सभी समितियां विद्यमान प्रक्रिया नियमों के प्रावधानों के तहत कार्य करती रहेंगी और माननीय उपराज्यपाल महोदय के संदेश का इन समितियों की कार्य-प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

अध्यक्ष महोदय ने सत्र के सुचारु संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सदन के सभी सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों/संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।

9 6.53 बजे

राष्ट्र गान: जन-गण-मन।
सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।

दिल्ली
11 अक्टूबर, 2017

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव